एस0डब्लू0डी0

संख्या- 02 /2025/55 /नौ-2-2025-01(एस0डब्ल्यू0डी0)क0सं0-1892643

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2025**

विषय:- अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत नगर निगमों में शहरी वर्षा जल निकासी मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-तक0सेल/648/1-अ0फ्लड/2025, दिनांक 13.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत नगर निगमों में शहरी वर्षा जल निकासी मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक-2215-02-191-03-00-35 में अवशेष धनराशि के सापेक्ष अर्बन फ्लड/ जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत शहरी वर्षा जल निकासी मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु नगर निगमवार तालिका के कालम-3 में अंकित कुल **धनराशि रू0 7330.00 लाख (रू0 तिहत्तर करोड़ तीस लाख मात्र)** अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र०सं०	नगर निगम का नाम	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3
1	नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन	400.00
2	नगर निगम, लखनऊ	500.00
3	नगर निगम, शाहजहांपुर	300.00
4	नगर निगम, बरेली	450.00
5	नगर निगम, मुरादाबाद	500.00
6	नगर निगम, मेरठ	600.00
7	नगर निगम, झांसी	400.00
8	नगर निगम, अयोध्या	500.00
9	नगर निगम, वाराणसी	400.00
10	नगर निगम, गाजियाबाद	700.00
11	नगर निगम, अलीगढ़	600.00

12	नगर निगम, प्रयागराज	500.00
13	नगर निगम, आगरा	500.00
14	नगर निगम, कानपुर	455.00
15	नगर निगम, फिरोजाबाद	300.00
16	नगर निगम, सहारनपुर	225.00
	योग	**7330.00**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-</u>

1. प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार व्यय हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को दी जायेगी।

2. कार्यों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

3. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

5. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

6. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

7. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

8. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

9. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

10. अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-1718/नौ-2-2024-01(एस0डब्ल्यू0डी0)/2024, दिनांक- 20.12.2024 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं उक्त योजनान्तर्गत समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 की शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 73,30,00,000 (रुपये तिहत्तर करोड़ तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021910300 अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या E-9-764-X-2024-25-दिनांक-29-मार्च, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Signed by
Sanjay Kumar Tiwari
Date: 29-03-2025 18:41:27

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

डब्लू0 डी0

संख्या- 02(1) /2025/55 २ख0/9-2-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त महापौर,नगर निगम,उ0प्र0।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय) लखनऊ।
9- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
10- निदेशक,सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय) लखनऊ।
11-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
13- सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
14- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 व 2, उ0प्र0 शासन।
15- कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-29/03/2025

प्रेषण संख्या:- 02
आवंटन आदेश संख्या:- 001-02-2025-55SWD-9-2-2025-01-SWD-CN-1892643
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
03 - अर्बन फ्लड / जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2877-निदेशक - स्थानीय निकाय , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	733000000 783000000	733000000 783000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	733000000 783000000	733000000 783000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तिहत्तर करोड़ तीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठहत्तर करोड़ तीस लाख

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव